उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार– 249404

पत्रांक :: 295 / 03(14) / डी0आर0 / डिग्री / सेवा–02 / 2017–18 **दिनांक** :: 04 मार्च, 2020

असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र) के सापेक्ष अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन निस्तारण की सूची

उत्तराखण्ड शासन के उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या :: 01 / 03 / डी0आर0 / सेवा–2 / 2017–18 दिनांक 04 अगस्त, 2017 द्वारा विज्ञापित **असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र)** के सापेक्ष आयोग कार्यालय के पत्रांक 177 / 03(14) / डी0आर0 / डिग्री / सेवा–02 / 2017–18 दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 द्वारा जारी अनर्ह सूची के सापेक्ष निर्धारित तिथि 26 दिसम्बर, 2019 तक अनर्ह अभ्यर्थियों द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को अनर्ह घोषित किये जाने का पूर्व निर्णय यथावत रखते हुए प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र)

क्र.सं.	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी द्वारा किया गया अनुरोध	आयोग का निर्णय / निस्तारण आदेश
1.	540400	REETIKA JOSHI	अभ्यर्थी द्वारा अपने अदिनांकित प्रत्यावेदन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वे विज्ञापन के शर्तानुसार शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि व नेट धारित करते हैं तथा यू0जी0सी0 के नियमानुसार मास्टर इन एज्यूकेशन (एम0एड0) एवं मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एज्यूकेशन (एम0ए0, एज्यूकेशन) दोनों के लिए एक समान पाठ्यक्रम रखा गया है तथा दोनों को समान प्राथमिकता दी गयी है। उपरोक्त के दृष्टिगत अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है।	मा0 आयोग के निर्णय दिनांक 31.01.2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर–शिक्षाशास्त्र पद के सापेक्ष अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थी परास्नातक उपाधि मास्टर ऑफ एज्यूकेशन (एम0एड0) में धारित करते हैं जबकि सुसंगत सेवा नियमावली / विज्ञापन में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षाशास्त्र विषय उल्लिखित है। अतः अभ्यर्थी को उक्त पद के सापेक्ष मा0 आयोग द्वारा अनर्ह घोषित किये जाने के पूर्व निर्णय को यथावत् रखते हुये प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया गया है।

2.	540486	LAXMAN SINGH	अभ्यर्थी द्वारा अपने अदिनांकित प्रत्यावेदन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अभ्यर्थी ने सन् 2007 में स्नातक उपाधि राजनीतिशास्त्र, इतिहास व गणित विषय के साथ द्वितीय श्रेणी में (47.50 प्रतिशत) तथा सन् 2009 में शिक्षा में स्नातक (बी0एड0) की उपाधि प्रथम श्रेणी (70 प्रतिशत) में उत्तीर्ण की है। शिक्षा में स्नातक (बी0एड0) की उपाधि के आधार पर सन् 2011–13 में एम0ए0 शिक्षाशास्त्र की उपाधि प्रथम श्रेणी (60 प्रतिशत) में उत्तीर्ण की है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्थी द्वारा स्नातक उपाधि (बी0ए0) के प्रतिशत को शिक्षा में स्नातक (बी0एड0) के प्रतिशत के संदर्भ में देखे जाने तथा साक्षात्कार में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है।	मा0 आयोग के निर्णय दिनांक 31.01.2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर–शिक्षाशास्त्र पद के सापेक्ष अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थी स्नातक उपाधि बैचलर ऑफ आर्ट्स (बी0ए0) में धारित करते है, जिसमें अभ्यर्थी 47.50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण हैं जबकि उत्तम शैक्षणिक अभिलेख के संबंध में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 65/03/डी0आर0/सेवा–02/डिग्री/2017–18 दिनांक 18.08.2017 के अनुसार प्रश्नगत पद हेतु सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। अतः अभ्यर्थी को उक्त पद के सापेक्ष मा0 आयोग द्वारा अनर्ह घोषित किये जाने के पूर्व निर्णय को यथावत् रखते हुये प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया गया है।
3.	540767	MEDHAVI SAINI	अभ्यर्थी द्वारा अपने अदिनांकित प्रत्यावेदन के माध्यम से अवगत कराया है कि वे प्रश्नगत पद हेतु विज्ञापन के अनुसार योग्यता (मास्टर डिग्री इन एज्यूकेशन) 55 प्रतिशत अंकों के साथ धारित करते हैं तथा भारत के राजपत्र, 5 जुलाई 2014 के भाग–III (अनुभाग 4) में यू0जी0सी0 (यू0जी0सी0 अधिनियम, 1956) द्वारा उच्च शिक्षा के समस्त स्तरों हेतु डिग्रियों के विशिष्टिकरण के अन्तर्गत परास्नातक उपाधि–एम0एड0 को परास्नातक उपाधि–एम0ए0 के समकक्ष दर्शाया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता के संबंध में पुनर्विचार करने व साक्षात्कार में सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है।	मा0 आयोग के निर्णय दिनांक 31.01.2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर–शिक्षाशास्त्र पद के सापेक्ष अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थी परास्नातक उपाधि मास्टर ऑफ एज्यूकेशन (एम0एड0) में धारित करते हैं जबकि सुसंगत सेवा नियमावली/विज्ञापन में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षाशास्त्र विषय उल्लिखित है। अतः अभ्यर्थी को उक्त पद के सापेक्ष मा0 आयोग द्वारा अनर्ह घोषित किये जाने के पूर्व निर्णय को यथावत् रखते हुये प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया गया है।

4.	540798	LALIT MOHAN JOSHI	अभ्यर्थी ललित मोहन जोशी द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 19.12.2019 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा शिक्षाशास्त्र में स्नातक परीक्षा (बी0एड0) 62 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की गयी है।	मा0 आयोग के निर्णय दिनांक 31.01.2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर–शिक्षाशास्त्र पद के सापेक्ष अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थी स्नातक उपाधि बैचलर ऑफ कॉमर्स (बी0कॉम0) में धारित करते है, जिसमें अभ्यर्थी 48.88 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण हैं जबकि उत्तम शैक्षणिक अभिलेख के संबंध में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 65/03/डी0आर0/सेवा–02/डिग्री/2017–18 दिनांक 18.08.2017 के अनुसार प्रश्नगत पद हेतु सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। अतः अभ्यर्थी को उक्त पद के सापेक्ष मा0 आयोग द्वारा अनर्ह घोषित किये जाने के पूर्व निर्णय को यथावत् रखते हुये प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया गया है।
5.	540906	RENU	अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 18.12.2019 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा 74 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर ऑफ एज्यूकेशन डिग्री (एम0एड0) की डिग्री धारित की गयी है तथा नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एज्यूकेशन (एनसीटीई) नॉरम्स 2018 तथा यू0जी0सी0 गाइडलाइन फॉर फैकल्टी रिक्रूटमेंट 2018 में असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र) पद की आधारभूत योग्यता हेतु एम0एड0 डिग्री को एम0ए0 (शिक्षाशास्त्र) डिग्री के समतुल्य माना गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता के संबंध में पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है।	मा0 आयोग के निर्णय दिनांक 31.01.2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर–शिक्षाशास्त्र पद के सापेक्ष अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थी परास्नातक उपाधि मास्टर ऑफ एज्यूकेशन (एम0एड0) में धारित करते हैं जबकि सुसंगत सेवा नियमावली/विज्ञापन में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षाशास्त्र विषय उल्लिखित है। अतः अभ्यर्थी को उक्त पद के सापेक्ष मा0 आयोग द्वारा अनर्ह घोषित किये जाने के पूर्व निर्णय को यथावत् रखते हुये प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया गया है।

6.	541218	AVNISH DEIVEDI	अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 17.12.2019 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा स्नातकोत्तर के सापेक्ष भूलवश मास्टर ऑफ एज्यूकेशन (एम0एड0) योग्यता द्वारा आवेदन किया गया था जबकि आवेदक प्रश्नगत पद हेतु वांछित योग्यता एम0ए0 (शिक्षाशास्त्र) धारण करता है, जिसका परीक्षा परिणाम समबद्व विश्वविद्यालय द्वारा 22 अपैल 2017 को घोषित किया जा चुका है। उक्त के दृष्टिगत अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पर पुनः विचार करते हुए अभ्यर्थन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।	मा0 आयोग के निर्णय दिनांक 31.01.2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर–शिक्षाशास्त्र पद के सापेक्ष अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में स्नातकोत्तर के सम्मुख एम0एड0 का दावा किया गया है। अतः सुसंगत सेवा नियमावली/विज्ञापन में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षाशास्त्र विषय निर्धारित होने के कारण अभ्यर्थी को उक्त पद के सापेक्ष मा0 आयोग द्वारा अनर्ह घोषित किये जाने के पूर्व निर्णय को यथावत् रखते हुये प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया गया है।
7.	541293	NISHANT PAL	अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 26.12.2019 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अभ्यर्थी मानवीकी तथा एम0एड0 में 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि व नेट धारित करते हैं तथा असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र) पद हेतु यू0जी0सी0 नियमावली में 55 प्रतिशत अंकों सहित एम0एड0 में स्नातकोत्तर उपाधि, अथवा 55 प्रतिशत अंकों सहित एम0ए0 (शिक्षाशास्त्र) तथा बी0एड0 उपाधि निर्धारित की गयी है। उपरोक्त के दृष्टिगत अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।	मा0 आयोग के निर्णय दिनांक 31.01.2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर–शिक्षाशास्त्र पद के सापेक्ष अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थी परास्नातक उपाधि मास्टर ऑफ एज्यूकेशन (एम0एड0) में धारित करते हैं जबकि सुसंगत सेवा नियमावली/विज्ञापन में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षाशास्त्र विषय उल्लिखित है। अतः अभ्यर्थी को उक्त पद के सापेक्ष मा0 आयोग द्वारा अनर्ह घोषित किये जाने के पूर्व निर्णय को यथावत् रखते हुये प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया गया है।

8.	541502	KM. ANJANA	अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 24.12.2019 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अभ्यर्थी ने संगत विषय में एम0एड0 व नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा यू0जी0सी0 की नियमावली परिशिष्ट व राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन आर/एफ.116/2019/3726, दिनांक 09.12.2019 के अनुसार असि0प्रो0 (शिक्षाशास्त्र) पद हेतु एम0एड0 उपाधि धारकों को एम0ए0 (शिक्षाशास्त्र) के समकक्ष तथा शिक्षाशास्त्र शिक्षण हेतु पूर्णतया योग्य माना गया है। उक्त के दृष्टिगत मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अर्ह घोषित करते हुए साक्षात्कार में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है।	मा0 आयोग के निर्णय दिनांक 31.01.2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर–शिक्षाशास्त्र पद के सापेक्ष अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थी परास्नातक उपाधि मास्टर ऑफ एज्यूकेशन (एम0एड0) में धारित करते हैं जबकि सुसंगत सेवा नियमावली/विज्ञापन में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षाशास्त्र विषय उल्लिखित है। अतः अभ्यर्थी को उक्त पद के सापेक्ष मा0 आयोग द्वारा अनर्ह घोषित किये जाने के पूर्व निर्णय को यथावत् रखते हुये प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया गया है।
9.	541799	SHYAM LAL	अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 19.12.2019 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि विज्ञापन में शैक्षिक अर्हताओं के बिन्दु सं0–04 के अन्तर्गत असिस्टेंट प्राफेसर (शिक्षाशास्त्र) पद हेतु शिक्षाशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि या किसी प्रत्याशित विदेशी विश्वविद्यालय के समतुल्य उपाधि अंकित है। जिसके क्रम में शिक्षाशास्त्र में परास्नातक (एम0एड0) भी शिक्षाशास्त्र में स्नातकोत्तर के समकक्ष उपाधि है, जिसका पाठ्यक्रम, पाठ्यवधि (02 वर्ष) तथा प्रश्नपत्रों की प्रकृति भी समान है। उपरोक्त के दृष्टिगत अभ्यर्थी द्वारा एम0एड0 तथा नेट उपाधि संबंधी योग्यता पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है।	मा0 आयोग के निर्णय दिनांक 31.01.2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर–शिक्षाशास्त्र पद के सापेक्ष अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थी परास्नातक उपाधि मास्टर ऑफ एज्यूकेशन (एम0एड0) में धारित करते हैं जबकि सुसंगत सेवा नियमावली/विज्ञापन में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षाशास्त्र विषय उल्लिखित है। अतः अभ्यर्थी को उक्त पद के सापेक्ष मा0 आयोग द्वारा अनर्ह घोषित किये जाने के पूर्व निर्णय को यथावत् रखते हुये प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया गया है।

Sd/-

(राजेन्द्र कुमार)
सचिव